रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237594
CG-DL-E-27072022-237594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944
No. 376]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

फा.सं. एलएम्/पीएम/0001/2020/यूडीएवाई/एमओएम.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में संशोधन हेतु आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. लघु शीर्षक और आरंभ-

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में, -

(क) खंड (च) के विनियम 2 में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, नामतः—

'(च) "निवासी" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के संबंध में पंजीकृत विक्रय विलेख अथवा पंजीकृत उपहार विलेख अथवा नवीनतम मुख्तारनामा, विक्रय करार, कब्जा पत्र और धनराशि के भुगतान के साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों सहित अन्य विविध दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक कब्जा हो तथा इसमें उसके कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं, लेकिन किराएदार, लाइसेंसी और अनुमति प्राप्त उपयोगकर्ता शामिल नहीं हैं।'

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./198/2022-23]

नोट: मुख्य विनियम भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 814(अ) द्वारा 29 अक्तूबर, 2019 को प्रकाशित किए गए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

F. No. LM/PM/0001/2020/UDAY/MOM.—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019 —

(a) in regulation 2, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

'(f)"resident" means a person having physical possession on the basis of registered sale deed or registered gift deed or latest set of Power of Attorney, Agreement to Sale, possession letter and other documents including documents evidencing payment of consideration in respect of a property in unauthorised colonies and includes their legal heirs but does not include tenant, licensee or permissive user.';

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./198/2022-23]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(i), vide G.S.R. 814(E), dated the 29th October, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.07.27 16:32:58 +05'30'